

(for projects other than linear projects)

Office of the District Collector Tehri Garhwal

Government of Uttarakhand

No--- 540

Dated--- 7-7-2020

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 190 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Forest Development Corporation** (name of user agency) for **Extraction of RBM in Chandrbhaga River** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of **Dhalwala, Gujrada, Talai, Daor and Auri** village (s) in **Narendranagar** tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **190 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to 12 annexure....
- the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concernd Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Dhalwala, Gujrada, Talai, Daor and Auri** villages(s) is enclosed as annexure 01 to annexure 12
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

प्रभागीय लौगिग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

विभागीय अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारूप-30.1

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - Tehri Garhwal (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

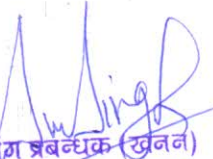
A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Mangesh Ghildiyal (IAS) deputy commissioner, Tehri Garhwal on dated 07-07-2020 at time at in which application claiming rights in **Extraction of RBM in Chandrbhaga River area** measuring **190 hect** for the construction of **Chandrbhaga River forest land** under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Narendranagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place New Tehri

Dated: 7-7-2020


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
Tehri Garhwal


प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खुनन)
उत्तराखण्ड/वन विकास निगम
देहरादून

कार्यालय—जिलाधिकारी, नई टिहरी

जनपद — टिहरी गढ़वाल

पत्रांक 540 /

दिनांक 7.7 - 2020

वनाधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 07-07-20 को जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम -2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्रनगर वन प्रभाग अन्तर्गत शिवपुर रेंज की चन्द्रभागा नदी, 190 है० में उपखनिज चुगान का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 190 है० भूमि वन विभाग से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी सदर देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 190 है० भूमि जो कि वन विभाग के शिवपुरी रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
माने की रेती

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

दयाल सिंह रावत
बदस्थ जिला पंचायत
43, मैतंग (नरेन्द्र नगर)
जिला-टिहरी गढ़वाल

प०सं०...../...../दिनांक

प्रतिलिपि:— प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्र नगर

उपखण्ड नरेन्द्र नगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान हेतु (190 हे० आरक्षित वन भूमि, * हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि * हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 190 हे० वन भूमि) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 12-06-2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सुक्ता मि-57, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सुक्ता मि-57 उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर - अध्यक्ष उप जिलाधिकारी
- 2- श्री डी पी बल्लभ उप प्रभागीय वनाधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी
- 3- श्री राहुल पताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री जगदीश सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र 38 372 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 190 हे० वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान परियोजना के निर्माण हेतु 190 हे० वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल
तहसील - नरेन्द्रनगर
जनपद - टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15/6/2020
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - नरेन्द्रनगर
जनपद - टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- चन्द्रभाग नदी में उपखनिज चुगान कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - कोडारना
तहसील - नरेन्द्रनगर, जिला - टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (190 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.0 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 190.00 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोडारना द्वारा दिनांक 16-01-2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोडारना, जिला - नरेन्द्रनगर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

दिनांक 16-1-2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत गुजराड़ा कोडरना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शिवेश शर्मा	शिवेश शर्मा
2	अनिल शर्मा	अनिल शर्मा
3	राजेश नेगी	राजेश नेगी
4	अरुण शर्मा	अरुण शर्मा
5	सुमित शर्मा	सुमित शर्मा
6	चन्दन सिंह कठारी	चन्दन सिंह
7	सुनील शर्मा	सुनील शर्मा
8	जान सिंह नेगी	जान सिंह नेगी
9	राधचन्द्र सिंह कठारी	राधचन्द्र सिंह
10	श्रीकांत शर्मा	श्रीकांत शर्मा
11	मनोज शर्मा	मनोज शर्मा
12	प्रवीण नेगी	प्रवीण सिंह
13	कमल सिंह	कमल सिंह
14	मोपाल सिंह	मोपाल सिंह
15	बालम सिंह	बालम सिंह
16	अशपाल सिंह	अशपाल सिंह
17	वृजेश कठारी	वृजेश कठारी
18	नरेश सिंह नेगी	नरेश सिंह
19	सुरेश चन्द शर्मा	सुरेश शर्मा
20	मनजीत	मनजीत

ग्राम पंचायत कोडरना
हस्ताक्षर
दिनांक 16-01-2020
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- चन्द्रभाग नदी में उपखनिज चुगान कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - आँगी

तहसील - नरेन्द्रनगर, जिला - टिहरी गढ़वाल

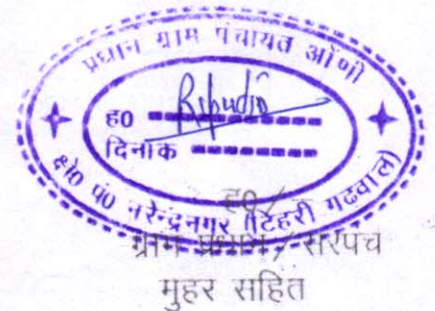
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (190 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.0 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 190.00 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आँगी द्वारा दिनांक 17-01-2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आँगी तलाई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



मुहर सहित

दिनांक 17-01-20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत तलाई, ~~खोली~~

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भागी सिंह	भागी सिंह
2	राधेश्याम	राधेश्याम
3	राजेश कुमार	R
4	कुंई सागर	MS
5	राधेश्याम	12/4/20
6	तुलसी राम	तुलसी राम
7	प्रमोद कुमार	प्रमोद कुमार
8	दीपक	दीपक
9	राजेश	राजेश
10	वसु	वसु
11	प्रेम सिंह	प्रेम
12	अगवान सिंह	अगवान
13	बालन सिंह	बालन
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ग्राम प्रधान
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
दिनांक
नरेंद्रनगर (विहरी गढ़वाल)

परियोजना का नाम :- चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - डोर

तहसील - नरेन्द्रनगर, जिला - टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (190 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.0 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 190.00 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डोर द्वारा दिनांक 10/02/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डोर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

दिनांक 10/02/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत डोर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेश सिंह तारि जेम्बर 03	सुरेश सिंह
2	21/02/20 2	21/02/20
3	मुन्ना सिंह	मुन्ना सिंह
4	Vikram Singh	Vikram Singh
5	प्रीत सिंह	प्रीत सिंह
6	भारत सिंह	भारत सिंह
7	देवी-रू	देवी-रू
8	राजेश पंतार	राजेश
9	मंगल सिंह	मंगल सिंह
10	सुरेश सिंह	Suresh
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ग्राम पंचायत डोर
बीता देवी
दिनांक 10/02/2020
ग्राम प्रधान
नरेश नगर (टिहरी-बलराम)

परियोजना का नाम :- चन्द्रभाग नदी में उपखनिज चुगान कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

~~नगर पंचायत (पालिका)~~

ग्राम-पंचायत का नाम - ढालवाला

तहसील - नरेन्द्रनगर, जिला - टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (190 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.0 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 190.00 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ढालवाला द्वारा दिनांक 10/02/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ढालवाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम-सचिव
मुहर सहित

आदेशाधीन
अभिप्रेत
ढालवाला


ग्राम पालिका परिषद्
मुनिकीरेली-ढालवाला
हे० गढ़वाल
ग्राम-प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
नगर पंचायत
पालिका ढालवाला
मुनिकीरेली

दिनांक 10/02/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
नगरपालिका ग्राम पंचायत ढालवाला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अरवि सिंह	
2	मनोरा सिंह	
3	बलवीर सिंह	
4	किरीट लाल	
5	टी नरपत.	
6	अजय चौकी	
7	डिनेश शर्मा	
8	लक्ष्मी थलवाल	
9	विनोद थलवाल	
10	विरेंद्र पवार	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

हस्ताक्षर
नगर पालिका परिषद
मुमकिले-ढालवाला
अध्यक्ष
ह0/-
ग्राम प्रधान